(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 3 पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 18वां दिवस संख्या 12

सोमवार.

दिनांक 5 मार्च, 1973.

विधान सभा की बैठक म. प. 11.30 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1973-74 का उपस्थापन।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : श्रीमान,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1973-74 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

वर्तमान आर्थिक स्थिति

2. प्रारंभ में, मैं राज्य की आर्थिक स्थिति का एक संक्षिप्त-सा लेखा-जोखा पेश करना चाहूंगा। यह स्थिति हर तरह से विषम ही प्रतीत होती है। फिर एक बार अकाल की काली छाया पड़ने से हमारी समृद्धि के वे उज्ज्वल सपने कुछ धूमिल से हो गये हैं जिन्हें हम योजनाबद्ध विकास एवं जनता के सुदृढ़ प्रयासों से पूरा करने की आशा रखते थे। यह तो आप सबको विदित ही है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतया इन्द्र भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। वैसे तो यह सूखा-चक्र प्रत्येक दो या तीन वर्षों के बाद आता ही रहता है परन्तु गत पांच वर्षों में केवल वर्ष 1970-71 ही एक अच्छा वर्ष निकला। इसलिये योजनाबद्ध विकास कार्यों से जिस मात्रा में हमें लाभ मिलने की आशा थी अधिकांश अपूर्ण ही रही।

3. वर्ष 1972 में मानसून ने फिर हमें धोखा दिया। आज दरअसल संपूर्ण राजस्थान अकाल का ग्रास बना हुआ है। 26 में से 24 जिले अकाल की चपेट में हैं। इससे पहले राजस्थान के कुछ पूर्वी जिलों को स्थानीय भारी वर्षा के कारण बाढ़ का शिकार बनना पड़ा था। इन सबके कारण सारा राजस्थान गंभीर संकट में पड़ गया है।

4. राज्य में अकाल की स्थिति एवं मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि से राज्य की आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है। अकाल पीड़ित लोगों से वसूलियां स्थगित कर दी गई हैं। अतः राजस्व प्राप्तियों में तेज रफ्तार से बढ़ोतरी, जिसकी कि वर्ष के प्रारंभ में, मैं उम्मीद कर रहा था, संभव नहीं हो पाई है। इससे, कुल मिला कर, हमारे गैर-आयोजना मदों के आय के स्रोतों पर विपरीत असर पड़ा है, साथ ही इसके कारण बजट का घाटा भी बहुत बढ़ गया है।

Page No.2

(2)

(श्री चन्दनमल बैद)

5. राज्य सरकार अकाल तथा असाधारण मूल्य वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई इस कठिन परिस्थिति से भलीभांति परिचित है। अकाल पीड़ित लोगों के संकट को दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा बराबर किये जाते रहेंगे। अनेक अकाल राहत कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं तथा अनेक अन्य परियोजनाओं में, जिनमें राजस्थान नहर परियोजना भी शामिल है, रोजगार दिलवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जरूरतमंद इलकों में अनाज पहुंचाया जा रहा है। अकाल राहत कार्यों पर लगे व्यक्तियों की संख्या अब 5 लाख तक पहुँच गई है। अनाज के सार्वजनिक वितरण की प्रणाली का भी बहुत प्रसार कर दिया गया है, जिसके द्वारा अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। पीने के पानी एवं चारे की सप्लाई की उचित व्यवस्था की गई है।

6. जनवरी, 1973 से राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्यों पर दैनिक मजदूरी की दरों को दुगुना कर दिया है। दैनिक मजदूरी को अब कार्य की मात्रा के साथ जोड़ दिया गया है, तथा कार्य की मात्रा के मापदण्ड में भी 30 प्रतिशत की कमी कर दी गई है। पहले जो मुफ्त सहायता (ग्रेच्यूट्स रिलीफ) दी जाती थी, उसे बढ़ा कर अब एक रुपया प्रति दिन कर दिया गया है। उन कार्यों को प्राथमिकता देने का निश्चय किया गया है, जो कि रोजगार तो प्रदान करते ही हों, साथ ही उनसे उत्पादकता में भी वृद्धि होती हो, तथा, उनका स्वरूप स्थायी प्रकृति का हो।

7. सहायता कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य के सभी स्रोतों पर, जिनमें निधियां और प्रशासन-व्यवस्था दोनों शामिल हैं, कितना अधिक भार पड़ता है यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मैं इस अवसर पर सदन को विश्वास दिलवाना चाहूंगा कि सदा की भांति सरकार इस स्थिति का मुकाबला साहस, दृढ़ निश्चय एवं सहानुभूति के साथ करेगी। मैं यह बात खुशी के साथ कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार के नेताओं ने हमारी जनता की संकटापन्न स्थिति को तथा उससे राज्य के वित्तीय साधनों पर पड़ने वाले भार को समझा है तथा हमें विश्वास दिलवाया है कि अकाल पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के मामले में धनराशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

नीति लक्ष्य

8. आर्थिक मामलों में, जिन कठिनाइयों का हमें मुकाबला करना पड़ रहा है, उनके बावजूद भी, हम हमारे उद्देश्य की ओर निरन्तर बढ़ते रहने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारी वित्तीय स्थिति पर लगे इस धक्के से हम अपने पथ से कदापि विचलित नहीं होंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है।

9. 'गरीबी हटाओ' के लक्ष्य को अमली जामा पहनाना इस सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हम यथा सम्भव थोड़े से थोड़े समय में योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी आयोजना का उद्देश्य तीव्र गति से

Page No.3

(3)

(श्री चन्दनमल बैद)

विकास प्रयत्नों से प्राप्त होने वाले लाभों का न्यायोचित समान वितरण करना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। समाजवाद हमारा घोषित लक्ष्य है अतः हमारे समस्त सुनियोजित प्रयत्न इस उद्देश्य की प्रजातांत्रिक तरीके से प्राप्ति के लिए ही होंगे।

10. मैं इस अवसर पर राज्य सरकार के नीति-लक्ष्यों के प्रति हमारी पूर्ण निष्ठा को पुनः दोहराते हुए इन लक्ष्यों को पुनः स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना चाहूंगा। चाहे हमारे मार्ग में वित्तीय या अन्य किसी प्रकार की कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हों हम निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक् परिश्रम करते रहेंगे कि—

—आर्थिक विकास की गतिशीलता में वृद्धि हो, आय एवं सम्पत्ति के वितरण की असमानताओं को कम किया जाय तथा विकास कार्यों का लाभ समाज के सबसे निर्धन तबके तक सबसे ज्यादा पहुंच सके।

—'न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' को इतनी तेजी के साथ चलाया जाए कि जिससे जल्दी से जल्दी प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषाहार, पेय जल, बिजली, सड़कों, गन्दी बस्तियों के सुधार आदि के क्षेत्रों में हम कम से कम उस स्तर पर तो अवश्य ही पहुंच जाएं जो न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर माना गया है।

—लोगों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर मुहैया किये जाएं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सुलभ करवाया जाए।

—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के तथा समाज के अन्य कमजोर तबकों के लोगों के हितों की रक्षा की जाए तथा उनके कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

—प्रशासन-व्यवस्था को कुशलतापूर्वक एवं ईमानदारी के साथ विकास के इन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में सक्षम तथा इन्हीं के अनुरूप साधन-सम्पन्न बनाया जाए।

वर्ष 1972-73 में हुई प्रगति

11. विषम आर्थिक स्थितियों के बावजूद तथा 1972-73 की वार्षिक आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि में कटौती कर दिए जाने के बावजूद भी, हमने अपने विकास कार्यों में प्रयत्नों की शिथिलता कभी नहीं आने दी। वर्ष 1972-73 में योजना एवं विकास पर मोटे तौर पर कोई 67.23 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। इस योजना व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा याने 36.92 करोड़ रुपये सिंचाई एवं बिजली के कार्यों के लिए खर्च किया गया है। इस प्रकार के व्यय से कृषि एवं उद्योगों का वह आधार मजबूत होगा जिसमें राज्य के भावी विकास की संभावनाएं एवं क्षमताएं निहित हैं।

12. अधिक उन्नत किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा लघु सिंचाई के जरिए उपज बढ़ाने के लिए कृषि कार्यक्रमों को

(श्री चन्दनमल वैद)

सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जहां वर्ष 1971-72 के अन्त में अधिक उपज वाली फसलों की किस्म के नीचे क्षेत्रफल 8 लाख हैक्टेयर था वहां उससे बढ़ कर अब 12.34 लाख हैक्टेयर हो जाने की आशा है। उर्वरकों का वितरण भी वर्ष 1971-72 में 2.89 लाख टन था जिसके अब बढ़ कर 3.18 लाख टन तक पहुँच जाने की संभावना है। कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता से 30 लघु सिंचाई योजनाएं कार्यरत हैं। पौध संरक्षण की व्यवस्थाओं एवं गतिविधियों को विस्तृत किया गया है। भूमि समतलन सम्बन्धी कार्य भी हाथ में लिए गए हैं। कृषि में किये गए इस विनियोजन से, वर्ष 1972-73 की समाप्ति तक 5.75 लाख टन खाद्यान्नों, 0.36 लाख टन तिलहन एवं 90 लाख गांठ कपास की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के बढ़ने की आशा की जाती है।

13. चालू वर्ष में दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, अर्थात् चम्बल एवं राजस्थान नहर परियोजनाओं के कमांड एरिया से समन्वित विकास के लिए भी पर्याप्त कार्य किया गया है। कोटा एवं बीकानेर में क्षेत्र विकास आयुक्त के संगठन की स्थापना की गई है। इन कमांड एरियाज (सिंचाई क्षेत्रों) के विकास का राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व है, यह अब भलीभांति समझा जाने लगा है। विश्व बैंक के विशेषज्ञों का एक दल इन सिंचाई क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता देने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है। इस सहायता से, जिसके कि शीघ्र ही मिलने की आशा है, सिंचाई क्षेत्रों के विकास कार्यों को तेजी से करना संभव हो जाएगा। इन विकास कार्यों में भूमि समतलन, पानी की नालियां बनाना तथा जल स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जाना भी शामिल है।

14. केन्द्र एवं राज्य के आयोजना स्रोतों से जो निधियां प्राप्त हो सकती हैं उनके अलावा विकास कार्यों के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने हेतु संस्थानिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की भी योजनाएं तैयार की गई हैं। लघु सिंचाई योजनाओं के अलावा चम्बल क्षेत्र में मंडियों के विकास के लिए 7 योजनाएं तथा जोधपुर में मार्केट यार्ड की एक योजना कृषि पुनर्वित्त निगम को भेजी गई है।

15. मवेशियों एवं भेड़ों से होने वाले उत्पादन को उपयोग में लाने के कार्यक्रमों को विशेष रूप से बढ़ाया गया है। नेशनल कोआपरेटिव डवलपमेन्ट कारपोरेशन व इंडियन डेयरी कारपोरेशन की सहायता से 8 दुग्धशाला परियोजनायें-अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर में प्रारम्भ की जा रही हैं। जोधपुर, बीकानेर एवं अजमेर में 'डेयरी प्लांट' लगाए जाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है।

16. औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। चुने हुए 16 पिछड़े जिलों में रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो जाने के कारण 17 औद्योगिक इकाइयां खुल गई हैं। वर्ष 1972-73 में तीन प्रमुख उद्योग प्रारम्भ हुए हैं तथा 29 उद्योगों के लिए आशय-पत्र (लेटर्स आफ इण्टेण्ट) एवं लाइसेन्स जारी किये जा चुके हैं। उद्योग विभाग और अधिक सुविधाएं प्रस्तावित करके कुछ अन्य नई लघु उद्योग

(श्री चन्दनमल बैद)

इकाइयां प्रारम्भ करने का प्रयास कर रहा है। राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने अपने प्रोत्साहन कार्यक्रमों को और बढ़ा दिया है।

17. चालू वर्ष में, अधिक विनियोजन के कारण एवं खानों की खुदाई के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण, खनिज पदार्थों का उत्पादन बढ़ा है। राक फास्फेट का उत्पादन, जो वर्ष 1971-72 में 156 हजार टन था, वर्ष 1972-73 में बढ़ कर 222 हजार टन हो गया है।

18. शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति बड़ी तेजी से हुई है। वर्ष 1972-73 में 1000 प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई तथा अन्य 1000 प्राथमिक पाठशालाओं को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया। आशा की जाती है कि वर्ष 1972-73 तक 6 से 11 तथा 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले छात्रों की संख्या बढ़ कर क्रमशः 60% तथा 31% हो जाएगी। इस वर्ष मैंने प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण/सुधार के लिए 84 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

19. चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 पाइप जल प्रदाय योजनाओं को, तथा शहरी क्षेत्रों में 11 जल प्रदाय योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा एवं 18 पुनर्गठन योजनाओं पर कार्य चालू रहेगा। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले के जिन क्षेत्रों में पीने के पानी से नेहरू नामक बीमारी फैलती है, उन क्षेत्रों में इस वर्ष हमने उन लोगों को नल-कूपों के जरिए शुद्ध पेय जल प्रदान करने की योजना प्रारम्भ की है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की हरिजन बस्तियों में पेय जल की सुविधा का विस्तार करने हेतु, इस वर्ष लगभग 50 लाख रुपये का विशेष प्रावधान किया गया था। जहां पाइपों की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने में दिक्कतों के आने की वजह से सार्वजनिक नल लगाने का कार्य इस वर्ष पूरा नहीं हो सका है, उसे आने वाले वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा।

20. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों को, गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा 4,000 रुपये की राशि तक का ब्याज-मुक्त ऋण देने की योजना का मुक्त-कण्ठ से स्वागत हुआ है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत लगभग 3,289 व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

21. विभिन्न श्रेणियों के कुशल एवं अकुशल कामगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विशेष रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए हैं। विशेष रूप से, कृषि सेवा केन्द्रों, दुग्ध संग्रह केन्द्रों, सड़कों एवं नालियों के निर्माण कार्यों, जल प्रदाय की स्कीमों तथा उनके स्रोतों के सर्वेक्षणों, भू-तल जल एवं विद्युत क्षेत्र के सर्वेक्षणों, गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्यक्रमों, उत्पादन केन्द्रों के विकास कार्यक्रम बनाने एवं मूल्यांकन संगठन व खादी बोर्ड के तहत आने वाली योजनाओं पर, रोजगार दिलाए गए हैं। आशा की जाती है कि वर्ष की समाप्ति तक इन योजनाओं पर 1.26 करोड़ रुपया व्यय हो जाएगा और इससे उत्पादन की गतिविधियों में वृद्धि तो होगी ही, उसके साथ

Page No.6

(6)

(श्री चन्दनमल बैद)

साथ करीब 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

22. इसके अलावा, ग्रामीण रोजगार की क्रेश योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। इन योजनाओं के लिए भारत सरकार से 3.25 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। प्रायोगिक सघन ग्रामीण परियोजना के अधीन हर एक जरूरतमन्द व्यक्ति को रोजगार देने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर बांसवाड़ा जिले की एक पंचायत समिति को चुना गया है।

23. इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा एवं डिग्री धारण करने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार स्नातकों को स्टाइपेण्ड देने की योजना को इस वर्ष भी चालू रखा गया है। डाक्टरों के स्व-रोजगार के कार्यक्रम भी चलाये गये हैं।

24. योजनान्तर्गत राज्य सरकार के साधन, केन्द्र सरकार से प्राप्त निधियों एवं सांस्थानिक वित्त एजेन्सियों (इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्सिग एजेन्सीज) से प्राप्त स्रोतों से, राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों में कुल 145 करोड़ रुपये की राशि व्यय करना संभव हो सका है। इसी विकास व्यय की वजह से वर्ष 1972-73 में किसी हद तक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिली है, अन्यथा इस अभूतपूर्व अकाल के कारण न जाने यह कितने भयंकर बोझ से दब गई होती।

25. विकास कार्य में की गई इन महत्वपूर्ण प्रगतियों के अलावा, सरकारी गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में भी काफी कुछ हुआ है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता है।

26. सरकार इसी रबी की फसल से गेहूं एवं चावल का थोक खाद्यान्न व्यापार राज्य के हाथ में ले रही है। योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा इस कार्य के लिए प्रशासनिक तंत्र को पर्याप्त रूप से सक्षम बनाया जा रहा है।

27. सहकारी क्रय-विक्रय एजेन्सियों की मार्फत मोटे कपड़े की बिक्री भी प्रारम्भ कर दी गई है।

28. जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 सदन में पारित किया जा चुका है। इस विधेयक की मंशा कृषि जोतों से होने वाली आय का अधिक न्यायोचित साम्यपूर्ण आधार पर वितरण किया जाना है। अधिकतम सीमा के बाद बची भूमि का पुनर्ग्रहण करके, राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों को भूमि वितरित कर सकेंगे।

29. गत वर्ष इस सदन ने शहरी सम्पत्ति को अधिकतम सीमा अधिरोपित करने, निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति को अवाप्त करने तथा स्वीकार्य सीमा से अधिक सम्पत्ति रखने वाले लोगों से अवाप्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में, एक सर्वांगपूर्ण विधेयक पारित किया था। यह विधेयक महामहिम राष्ट्रपति महोदय

(श्री चन्दनमल बैद)

की अनुमति के लिये भेजा गया है। राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिलने तक, उनके पूर्व निर्देशन से ही हमने अधिकतम सीमा से बेशी सम्पत्ति को बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया है। हाल ही में सदन द्वारा पारित किये गये बिल पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त होते ही यह अध्यादेश शीघ्र ही अधिनियम का स्थान ग्रहण करेगा।

30. राज्य सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व 25 राज्य पथ परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कृत संकल्प है। मार्गों एवं सेवाओं के राष्ट्रीयकरण को सुगम करने की दृष्टि से हाल ही में एक बिल इस सदन ने पारित किया है।

31. चालू वर्ष में, सरकार ने राज-पत्रित अधिकारियों के खिलाफ अब तक की गई कार्यवाहियों की तुलना में सबसे अधिक कठोर कार्यवाही की है। लगभग 60 अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा-मुक्त कर दिया गया है।

32. जैसा कि सदन को ज्ञात है, सरकार हर स्तर पर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कदम उठा रही है और लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त की नियुक्ति के बारे में हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया है। न केवल वरिष्ठ सिविल सेवकों को अपितु लोक सेवकों व मंत्रियों को भी लोक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ला दिया गया है।

33. हमने एक स्टेट प्लानिंग बोर्ड की स्थापना कर दी है। इस बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों के सर्वोच्च स्तर के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व रहेगा। इसके फलस्वरूप विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक अच्छी तरह योजनाएं बनाने उनका मूल्यांकन करने तथा अन्ततः उन्हें अमल में लाने में बहुत मदद मिलेगी।

34. हमने संसद के सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों की भांति प्रथम बार इस राज्य में विधान सभा सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन किया हैं। मुझे विश्वास है कि ये समितियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना

35. इस वर्ष 1973-74 के लिए 75.10 करोड़ रुपये की राज्य योजना है। इसमें से 51.02 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में होंगे। वर्ष 1973-74 की वार्षिक आयोजना इस प्रकार के एक सुगठित प्रयत्न के रूप में तैयार की गई है कि उससे चतुर्थ योजना के लक्ष्यों को पूरा कर राज्य सरकार को विकास के ऐसे स्तर पर लाया जा सके जिससे कि वह अपनी पांचवीं योजना को सफलतापूर्वक आरम्भ कर सके। वार्षिक आयोजना के सेक्टरवार आवंटन बजट पुस्तिका में दिये हुए हैं। यहां मैं अगले वर्ष प्रारम्भ किये जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संकेत मात्र देना चाहूंगा।

36. हम आशा करते हैं कि वर्ष 1973-74 में जो भी विनियोजन किया जाय उसमें सिंचाई, विद्युत एवं कृषि क्षेत्रों में हम विकास के उस स्तर तक पहुँच जाएं जिससे कि हम पांचवी योजना में निर्धारित

(8)

(श्री चन्दनमल बैद)

कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रारंभ कर सकें । इस अवधि में अधिक उपज वाली फसलों के द्वारा लगभग 13.10 लाख हैक्टेयर भूमि में उत्पादन किये जाने की आशा है। पौध संरक्षण कार्य 45 लाख हैक्टर क्षेत्र में किये जायें।

37. राजस्थान नहर का प्रथम चरण तक का कार्य अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। मुख्य नहर का 188 किलोमीटर तक; लूणकरणसर लिफ्ट चैनल का 144 किलोमीटर तक का निर्माण कार्य किया जाएगा। सेई डाइवरशन तथा गोपालपुरा एवं जैतपुरा परियोजनाओं के परिव्यय में भी सारभूत वृद्धि कर दी गई है।

38. विद्युत क्षेत्र में बस्तियों का विद्युतीकरण एवं कुओं में बिजली देने का कार्य चतुर्थ योजना में निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक होगा। अगले वर्ष में ट्रान्समीशन पद्धति का पर्याप्त विस्तार किया जाएगा तथा हमें आशा है कि हम ग्राम विद्युतीकरण निगम से हमारी योजनाओं के लिए अधिक राशि प्राप्त कर सकेंगे। अगले वर्ष 1000 स्थानों का विद्युतिकरण करने तथा 20,000 कुओं को बिजली देने की हमारी योजना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने तक, राजस्थान में 6,168 स्थानों पर व 88,492 कुओं पर बिजली लग चुकेगी। अगर हम इस बात का ध्यान रख कर विचार करें कि जब राजस्थान बना था उस समय केवल 42 जगहों पर ही बिजली उपलब्ध थी, तो यह अपने आप में कोई कम प्रगति नहीं है।

39. औद्योगिक क्षेत्र में भी, राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को राज्य के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के उद्देश्य से इक्विटी पार्टीशन एवं हिस्सा पूंजी द्वारा सहायता देकर अधिक सक्षम बनाया जायेगा। अलवर का स्कूटर प्लांट जिसे निगम चालू कर रहा है, अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक उत्पादन करना प्रारंभ कर देगा।

40. टोंक स्थित लैदर टैनरी के लिए फ्रांस की एक फर्म के साथ एक करार किया गया है। टैनरी की स्थापना के लिए आवश्यक मशीनें एवं उपकरण शीघ्र ही आने प्रारंभ हो जाएंगे।

41. चालू वर्ष की तुलना में सड़क कार्यों के विकास के लिए वर्ष 1973-74 के दौरान रखी गई निधि 2,20 करोड़ रुपये लगभग दुगुनी होगी। स्टेट प्लान फण्ड्स के अलावा कुछ केन्द्र संचालित कार्यक्रमों को जैसे ग्रामीण रोजगार की क्रेश योजना, ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा नेशनल हाईवेज के कार्यक्रम आदि को इस प्रयोजनार्थ अधिकाधिक धनराशि मिल सकेगी ऐसी आशा है स्टेट प्लान में दिया गया परिव्यय 200 किलोमीटर लम्बी अतिरिक्त सड़क के निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त होगा।

42. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 25% तक राज्य पथ परिवहनों के राष्ट्रीयकरण किये जाने क सरकार के निर्णय का हम निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। राज्य पथ परिवहन निगम को सांस्थानिक वित्त एजेन्सियों से ऋण लेकर अपने स्त्रोतों को

(श्री चन्दनमल बैद)

बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी । चालू वर्ष में दी जाने वाली जो राजकीय सहायता 5 लाख तक ही समिति थी वह आगामी वित्तीय वर्ष में बढ़ा कर 30 की जा रही है ।

43. शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान करने के मामले में हम हर संभव प्रयत्न करेंगे । इस वर्ष खोली गई पाठशालाओं में हमने 6000 शिक्षकों को रोजगार दिया है । अगले वर्ष 1000 प्राथमिक पाठशालायें तथा 1500 मिडिल स्कूल खोलने का हमारा प्रस्ताव है । इस प्रकार इनमें 6000 प्रशिक्षित शिक्षकों को रोजगार मिल सकेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं ।

44. मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि केवल शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से ही इस कार्यक्रम को प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है । हम यह मानकर चल रहे हैं कि शिक्षा परिवर्तन का एक सबल साधन है तथा यह सफल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुमूल्य है । अत: किसी एक निर्धारित स्तर तक तो यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होनी ही चाहिए ।

45. भारत सरकार द्वारा अगले वर्ष एक व्यापक रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा जिसके अधीन 5 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिया जाएगा । हम भी राजस्थान में इस केन्द्रीय सहायता के अपने हिस्से को प्राप्त करने की योजनाएं बना रहे हैं जिससे कि हमारे चिकित्सकों, इन्जीनियरों, कृषि स्नातकों एवं अन्य प्रकार की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले शिक्षित लोगों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सके ।

46. चतुर्थ योजना में 25 डिस्पेन्सरियों का लक्ष्य था । लेकिन इस योजना काल के अन्त तक 38 नई डिस्पेन्सरियां खुल जायेंगी ।

47. ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत भी, अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक चतुर्थ योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक संख्या में योजनाएं पूरी हो जायंगी । चतुर्थ योजना में 400 ग्रामों का लक्ष्य निर्धारित था किन्तु उसकी तुलना में लगभग 1200 गाँवों में यह योजना पूरी हो जाएगी । अगले वर्ष तक राजस्थान के सभी 157 शहरों एवं कस्बों में जल वितरण प्रणाली का कार्य पूरा हो जाएगा एवम् उदयपुर जल प्रदाय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत देवास प्रथम चरण का कार्य भी पूरा हो जाएगा । वर्ष 1973-74 में जल प्रदाय योजनाओं पर राज्य योजना से 9.45 करोड़ रुपये, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम के तहत 2.35 करोड़ रुपये व एक्सलरेटेड प्रोग्राम के तहत 3.50 करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है । राज्य योजना व्यय में 2.22 करोड़ रुपया जो शहरी योजनाओं के लिए है को छोड़ कर शेष सारी राशि ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं के लिए है ।

48. शहरी गृह निर्माण क्षेत्र में, राजस्थान आवासन बोर्ड ने वर्ष 1973-74

Page No.10

(10)

(श्री चन्दनमल बैद)

के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये के विनियोजन की एक योजना बनाई है। जयपुर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले हरिजनों के लिए एक गृह निर्माण योजना चालू की गई है। बोर्ड अल्प आय वर्ग वाले लोगों के लिए अधिक से अधिक भवन एवं बस्तियों का निर्माण कराये जाने के प्रयत्न में जुटा है।

49. पांचवीं योजना के लिए तैयारी के रूप में अगले वर्ष न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जो अग्रिम कार्यवाही (एडवांस एक्शन) की जानी है, उससे वर्ष 1973-74 के दौरान अनेक विकास कार्यक्रमों को और गति मिलेगी : विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, पेय जल, स्वास्थ्य और पोषाहार, सड़कें और बिजली एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों की गतिशीलता में पर्याप्त वृद्धि होगी।

50. आशा की जाती है कि वर्ष 1973-74 में अग्रिम कार्यवाही के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई निधियों से हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत से भूतल जल सर्वेक्षण कार्य हाथ में ले सकेंगे, तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए, सड़कों एवं जल प्रदाय के लिये और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये योजनाएं तैयार कर सकेंगे। साथ ही विशाल पैमाने पर शालाओं में भर्ती के अभियान की एक आधारशिला रख सकेंगे। वर्ष 1973-74 के दौरान जो केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होने की आशा है उससे हम तुरन्त ही विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों के सम्बन्ध में अनेक सर्वेक्षण कराने का इरादा रखते हैं। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य यह जानना होगा कि खनिज स्रोतों, भूतल जल, जमीन की उपज क्षमता एवं वन सम्पदा आदि की क्षमता के सम्बन्ध में क्या सम्भावनायें हैं ताकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उनके अधिकतम उपयोग की दृष्टि से हम सही सही निर्धारण कर सकें।

51. बार बार सूखा पड़ने तथा अकाल कार्यक्रमों पर भारी व्यय करते रहने से अब यह अत्यावश्यक लगने लगा है कि इस प्रकार की समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढ निकाला जाए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ आयोजनाएं तैयार भी कर ली गई हैं। हम मई, 1973 के अन्त तक ऐसे समस्त जिलों के विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बना लेंगे, ऐसी आशा करते हैं। इन कार्यक्रमों में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कितनी निधियों की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक उपज क्षमता के विकास के फलस्वरूप क्या क्या लाभ मिल सकेंगे, उनके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख होगा। इन सबको स्पष्ट किया जा सके इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम हमारे प्राकृतिक साधनों के विस्तृत सर्वेक्षण करें और इस क्षेत्र के किन-किन हिस्सों में कितनी-कितनी विकास की सम्भावनाएं हैं उसका सही जायजा लें। कार्यक्रमों में भूतल जल स्रोतों के विकास, विस्तृत चरागाह भूमि विकास कार्यक्रम, अधिक उत्पादन के लिए मवेशियों एवं भेड़ों के संकरण (क्रास-ब्रीडिंग) तथा उपज के

(श्री चन्दनमल बैद)

लिये बिक्री स्थलों (मार्केट टाइ-अप) की योजना बनाने का इरादा है। हमें इन कार्यक्रमों को चलाने में भारत सरकार एवं सांस्थानिक वित्त एजेन्सियों से सहायता प्राप्त होने की पूरी आशा है।

52. अतः 1972-73 का अगला वित्तीय वर्ष न केवल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की गतिविधियों के सुदृढ़ करने तथा इसमें निर्धारित किये गये लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, अपितु पांचवीं पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु तैयारी को पूरा करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

पांचवीं योजना की विकास नीति

53 पांचवीं योजना का प्रारूप वर्ष 1973-74 के प्रारंभिक माहों में ही तैयार किया जाएगा। योजना के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होगा इसकी रूपरेखा बतलाते हुए एक दृष्टिकोण पत्र (एप्रोच पेपर) तैयार किया जा चुका है। हमें पांचवीं योजना का भारत सरकार का भी दृष्टिकोण पत्र प्राप्त हो चुका है। शीघ्र ही मैं इन दस्तावेजों की प्रतियां समस्त राजनैतिक दलों, निर्वाचित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज तथा सभी सार्वजनिक विचार-विमर्श के स्थलों एवं उन सभी व्यक्तियों के पास भिजवाऊंगा जो इस प्रकार विचार विनिमय में रुचि रखते हैं। हम समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तथा अधिक समृद्धि के लिए आयोजना करने के इस अत्यन्त रुचिकर कार्य में सम्पूर्ण जनता के सहयोग की आकांक्षा रखते हैं।

54. पांचवीं योजना की नीति यह होगी कि विकास इतनी तीव्र गति से किया जाए जिससे कि जनता में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। हमारी नीति यह भी होगी कि पिछड़े तबकों का तथा ऐसे क्षेत्रों का जो अब तक अविकसित रहे हैं जैसे राज्य के आदिवासी इलाके एवं रेगिस्तानी इलाके इन सबका विकास किया जाय। हम हमारे ग्रामीण भाई-बहिनों की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, इसके लिए भी कार्यक्रम चलाएंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें उम्मीद है कि हम पांचवीं योजना के दौरान 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बालकों के लिए शत-प्रतिशत तथा 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले बालकों के लिये 60% प्राथमिक तथा मिडिल शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। जहां तक पीने के पानी की व्यवस्था का सवाल है, हमें इतमीनान है कि हम राज्य के सभी गांवों में जल प्रदाय का कोई न कोई सुनिश्चित साधन अवश्य दे देंगे। हम हर ऐसे गांव में जिसकी न्यूनतम आबादी 1500 के लगभग है, एक बारहमासी सड़क (आलवेदर रोड) बना सकेंगे। जहां गांव एक दूसरे से बहुत दूर छितरे-बिखरे हुए हैं, वहां एक निश्चित न्यूनतम आबादी होने पर गांवों के एक समूह के बीच एक आलवेदर रोड अवश्य दे सकेंगे। गन्दी बस्तियों के सुधार कार्य के अन्तर्गत हमारा इरादा है कि आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ और शहरों में पर्यावरण सुधार (एनविरनमेंटल इम्प्रूव-

(श्री चन्दनमल बैद)

मेंट) तथा पुनर्विकास की योजनाएं शुरू करें। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का संबंध है, बिजली की ट्रान्समीशन लाइनों को बढ़ा कर हम 40 प्रतिशत ग्रामीण लोगों तक बिजली पहुंचा देना चाहते हैं। जन स्वास्थ्य एवं पोषाहार के क्षेत्र में पांचवी योजना के दौरान न्यूनतम मापदण्ड के आधार पर 80,000 से 1,00,000 तक की आबादी के लोगों के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उसके अन्तर्गत 8 से 10 तक उप-केन्द्र हो जाएंगे।

छठा वित्त आयोग

55. जब मैंने वर्ष 1972-73 का आय-व्ययक अनुमान सदन में प्रस्तुत किया था उस समय मैंने यह आशा व्यक्त की थी कि छठा वित्त आयोग राज्य की आवश्यकताओं एवं उनके वित्तीय असंतुलनों के बारे में सही एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएगा तथा समुचित राशि हस्तान्तरित करेगा। भारत सरकार ने छठे वित्त आयोग का गठन कर दिया है तथा आयोग को अपनी रिपोर्ट इस वर्ष 31 अक्टूबर तक देनी है, ताकि पांचवी योजना के निर्माण के पूर्व ही, इनकी सिफारिशें उपलब्ध हो सकें। आयोग अपनी रिपोर्ट वर्ष 1974-75 से वर्ष 1978-79 तक की अवधि के लिए देगा। राज्य सरकार ने इस आयोग को एक सर्वाङ्गपूर्ण ज्ञापन प्रस्तुत किया है तथा इस संबंध में वित्त आयोग से, जब इस वर्ष की 9 फरवरी को राज्य का दौरा करने आया, अपनी बातचीत भी पूरी कर ली है। आयोग को विचारार्थ सौंपे गए विषयों (टर्म्स आफ रेफरेन्स) से तो माननीय सदस्य अवगत ही हैं। मैं खासकर माननीय सदस्यों का ध्यान दो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो कि इससे पूर्व के आयोगों को सौंपे गए विचारार्थ विषयों से नितान्त भिन्न हैं और सामान्य विषयों के अतिरिक्त हैं। इनमें से प्रथम तो यह है कि आयोग को वर्ष 1978-79 में समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए एक समान एवं तुलनात्मक आधार पर राज्यों के नान-प्लान कैपिटल गैप के बारे में जांच करना है तथा राज्यों के ऋण (डेट) की स्थिति के बारे में पुनरीक्षण कर केन्द्र के ऋण चुकाने की नये सिरे से शर्तें सुझाना है। दूसरा यह है कि आयोग, दैवी प्रकोपों ग्रस्त राज्यों द्वारा राहत कार्यों के व्यय के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी नीतियों एवं प्रबन्धों का पुनरीक्षण करेगा तथा अन्य बातों के साथ साथ एक ऐसे नेशनल फण्ड की स्थापना की संभावना के बारे में भी विचार करेगा जिसमें कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपनी अपनी राजस्व आय के कुछ प्रतिशत भाग का अंशदान कर सकें। माननीय सदस्यों को याद होगा, जब इस सदन में वर्ष 1972-73 के बजट पर चर्चा हो रही थी, मैंने इस राज्य की बढ़ती हुई कर्ज की स्थिति पर गहरी चिन्ता प्रकट की थी तथा इस बात की आवश्यकता भी बतलायी थी कि इस स्थिति से उबरने का कोई ऐसा हल ढूंढा जाय जिससे कि राज्य सरकार अपनी अर्थ व्यवस्था को एक संतुलित धरातल पर ला सके। मैंने यह आशा भी व्यक्त की थी कि आयोग इस पहलू पर अवश्य विचार करेगा। वर्तमान में जो अकाल की छाया हम पर पड़ी हुई है वह सारे राज्य की क्षमताओं को एकदम

(श्री चन्दनमल बैद)

कुंठित किये हुए है। हम इसे दूर करने के लिए जितने प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हमें बहुत अधिक आर्थिक सहायता मिलने पर ही यह संकट टल सकता है। हमारा यह महसूस करना स्वाभाविक है कि जब देश का इतना बड़ा भाग, ऐसी भयंकर आपत्तियों की चपेट में बार बार आ जाता हो तो इसके लिए देश के अन्य भागों को भी कुछ चिन्ता होनी चाहिए तथा इसे एक राष्ट्रीय संकट मान कर उन सबको इसके समाधान में सहयोग प्रदान करना चाहिए। इसलिए हमने यह निवेदन किया था कि एक 'कैले-मिटी फण्ड' की स्थापना की जाए तथा उसमें सभी राज्यों द्वारा योगदान किया जाए। इस फण्ड से इस प्रकार खर्चा विनियमित किया जाए कि वर्तमान की तरह इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने का सारा भार केवल एक राज्य पर ही न पड़े। मुझे हर्ष है कि इस सुझाव को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा आयोग को दिये गये विचारार्थ विषयों (टर्म्स आफ रैफरेन्स) में जिनका जिक्र मैंने अभी किया ऐसे फण्ड की स्थापना की संभावना के बारे में विचार-विमर्श करना भी सम्मिलित है।

56. यहां मैं यह बतला दूं कि राज्य पर कर्जा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 152.64 करोड़ का था, पांचवी योजना के पूर्व तक बढ़कर 825.54 करोड़ हो जाएगा। इस बढ़ते हुए ऋण भार से हमें गहरी चिन्ता है, अतः आयोग से हमने मांग की है कि राज्य को इस भारी कर्ज के भार से मुक्त कराने के लिए आयोग कोई उपाय सुझाए तथा यदि आवश्यक हो तो स्पेशल एकोमोडेशन, स्पेशल वेज एण्ड मीन्स एडवान्सेज, विविध विकास ऋणों तथा अकाल राहत कार्यों के लिए दिए गए ऋणों को राइट आफ कराया जाए क्यों कि ये सब पूर्णतया अनुत्पादक व्यय हैं। हमने यह भी मांग की है कि आयोग तथा कथित केपि-टल एक्सपेन्डीचर के लिए दिए गये ऋणों को भी राइट आफ कर देने की सिफारिश करे क्योंकि चाहे नाम को ये ऋण कैपिटल एक्सपेन्डीचर में आते हों पर दरअसल वित्तीय दृष्टि से देखा जाए तो वे सभी नितान्त अनु-त्पादक खर्चे ही हैं।

57. मुझे आशा है कि आयोग हमारी आवश्यकताओं के बारे में यथार्थवादी दृष्टि-कोण अपनायेगा तथा उनकी पूर्ति के लिए उपाय सुझाते हुए पर्याप्त राशि हस्तान्तरित करने की अपनी सिफारिश करेगा।

संशोधित बजट अनुमान 1972-73

58. अब मैं वित्तीय वर्ष 1972-73 के संशोधित अनुमानों पर प्रकाश डालूंगा। वर्ष 1972-73 के बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:--

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 1972-73	संशोधित अनुमान 1972-73
राजस्व लेखे में प्राप्तियां	+215.51	+228.13

(श्री चन्दनमल बैद)

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 1972-73	संशोधित अनुमान 1972-73
राजस्व लेखे में होने वाला व्यय	--228.33	--262.20
पूंजी लेखे में प्राप्तियां	+331.80	+284.08
पूंजी लेखे में व्यय	--356.22	--270.53
कुल बजट का घाटा	(-) 27.24	(-) 20.52

59. बजट की स्थिति के सही विश्लेषण के लिये यह सुविधाजनक होगा कि योजना, अकाल और बाढ़ राहत कार्यों और शेष गैर-योजना लेखों में होने वाले व्यय और प्राप्तियों के सम्बन्ध में अलग अलग विचार किया जाए क्योंकि हम यह मान कर चले हैं कि योजना तथा अकाल पर खर्च से बजट में कोई घाटा नहीं होगा। संशोधित अनुमानों में अकाल एवं बाढ राहत कार्यों पर कुल व्यय 25.95 करोड़ रुपये का दर्शाया गया है। इस व्यय को पूरा करने के लिए 1.08 करोड़ रुपये के राज्य के स्वयं के अंशदान को छोड़ कर, बाकी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में अर्थात् 6.94 करोड़ रुपये अनुदान सहायता के रूप में तथा 17.93 करोड़ रुपये ऋण सहायता के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है। संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य की योजना पर 67.23 करोड़ रुपये और केन्द्र संचालित योजनाओं पर 42.86 करोड़ रुपये व्यय होंगे। केन्द्र संचालित योजनाओं पर होने वाले 42.86 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण व्यय की पूर्ति इतनी ही समान राशि की केन्द्रीय सहायता से हो जाएगी। राज्य के 67.23 करोड़ रुपयों के योजना व्यय व पुराने ओवर ड्राफ्ट का चुकारा करने के लिए प्राप्त वेज एण्ड मीन्स एडवान्स के भुगतान के लिए 1.06 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था, केन्द्रीय सहायता के 46.14 करोड़ रुपये, राज्य द्वारा अतिरिक्त कर आदि साधनों से जुटाए गए 11.12 करोड़ रुपये, तथा संस्थानिक वित्तीय एजेन्सियों से प्राप्त 11.03 करोड़ रुपये से की जाएगी। वित्त संस्थाओं से जो 11.03 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है, उसमें से बजट में केवल 1.85 करोड़ ही दिखाया गया है, जबकि शेष 9.18 करोड़ सीधा नगरपालिकाओं और राज्य विद्युत् बोर्ड को प्राप्त होगा।

60. अतः चालू वर्ष के बजट में जो कुल घाटा 20.52 करोड़ रुपयों का दर्शाया गया है, वह केवल बजट के गैर-योजना मद में ही है तथा अकाल राहत कार्यों एवं योजना मदों में कोई घाटा नहीं है।

बजट अनुमान 1973-74 राजस्व लेखे में प्राप्तियां :

61. अब मैं 1973-74 के बजट अनुमानों के प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालूंगा। राजस्व से प्राप्तियां 252.06 करोड़ रुपया आंकी गई हैं। मोटे तौर पर इन प्राप्तियों में वित्त आयोग के अवार्ड के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली

(श्री चन्दनमल बैद)

61.65 करोड़ रुपये की राशि तथा निम्नलिखित मदों के लिये केन्द्र से राज्य को प्राप्त अनुदान सहायता की 68.93 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है :--

(1) राज्य योजना के लिये	15.31 करोड़ रुपये
(2) केन्द्र संचालित योजनाओं के लिये	34.13 करोड़ रुपये
(3) अकाल राहत कार्यों के लिये	16.97 करोड़ रुपये
(4) अन्य गैर-योजना कार्यों के लिये	2.52 करोड़ रुपये

शेष 121.48 करोड़ रुपयों की प्राप्तियों में, राज्य के स्वयं के मदों की आय और गैर कर शामिल हैं।

62. **राजस्व में होने वाले व्यय** :--राजस्व लेखे से होने वाले व्यय का अनुमान 300.61 करोड़ रुपया रखा गया है। इसमें से गैर-योजना मद में 250.07 करोड़ रुपये, राजस्व लेखे में राज्य योजना के लिये 17.23 करोड़ और केन्द्र संचालित स्कीमों पर 33.31 करोड़ रुपयों का व्यय शामिल है। 250.07 करोड़ रुपयों के गैर-योजना व्यय में से 43.75 करोड़ रुपया तो केवल ब्याज चुकाने के लिये है। राजस्व व्यय के अन्य बड़े मद इस प्रकार हैः--

(1) शिक्षा	45.60 करोड़ रुपये
(2) पुलिस	13.25 करोड़ रुपये
(3) चिकित्सा	12.23 करोड़ रुपये

चूंकि राजस्व प्राप्तियां 252.06 करोड़ रुपया आंकी गई हैं और राजस्व लेखे में होने वाला व्यय 300.61 करोड़ रुपया आंका गया है, अतः राजस्व लेखे में 48.56 करोड़ रुपयों का घाटा होने का अनुमान है।

63. **पूंजी लेखे में संवितरण** :--पूंजी लेखे की जिसमें लोकलेखा भी सम्मिलित है, स्थिति इस प्रकार है :--

	(करोड़ रुपयों में)
(1) सार्वजनिक ऋणों का चुकारा	0.26
(2) केन्द्रीय सरकार के ऋणों का चुकारा	60.76
(3) स्वायत्त संस्थाओं के ऋणों का चुकारा	6.97
(4) जागीर बॉडों का भुगतान	1.80
(5) पूंजीगत व्यय :	
(क) राज्य की योजना और केन्द्र संचालित योजनायें	40.25

(श्री चन्दनमल बैद) (करोड रुपयों में)

(6) राजकीय व्यापार के अतिरिक्त अन्य गैर-योजना व्यय	4.27
(7) राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम संवितरण :	
(क) राज्य योजना और केन्द्र संचालित स्कीमें	14.06
(ख) गैर-योजना	12.99
	135.36

ऊपर बताये गये संवितरण के मुकाबले में पूंजी लेखे में, जिसमें लोक लेखा भी सम्मिलित है, कुल प्राप्तियां 159.72 करोड़ रुपयों की आंकी गयी है।

इन प्राप्तियों के मुख्य मद इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

(1) सार्वजनिक ऋण	15.37
(2) केन्द्र से ऋण :	
(क) राज्य योजना और केन्द्र संचालित स्कीमें	41.32
(ख) गैर-योजना (अकाल सहायता के अतिरिक्त)	2.71
(ग) अकाल सहायता	48.26
(घ) स्पेशल अकोमोडेशन	17.35
(3) स्वायत्त संस्थाओं से ऋण :	
(क) राज्य योजना के लिए	2.15
(ख) गैर-योजना के लिए	0.84
(4) अल्प बचत संग्रह में राज्य का हिस्सा	4.00
(5) ऋण और अग्रिम की वसूली	5.68
(6) जागीर बोंड्स के जारी करने से	0.30
(7) राजकीय व्यापार से शुद्ध आय	4.83
(8) आकस्मिकता निधि	2.00
(9) लोक लेखा में संवितरण की शुद्ध प्राप्तियां	14.91
योग	159.72

(श्री चन्दनमल बैद)

64. **कुल बजट की स्थिति :** इस प्रकार यह अनुमान किया गया है कि पूंजी लेखे में, जिसमें लोक लेखा एवं आकस्मिकता निधि शामिल है, 24.36 करोड़ रुपयों की बचत होगी। पूर्व में बताये गये राजस्व लेखे के 48.55 करोड़ रुपयों के घाटे को इसमें मिलाने से 1972-73 के कर स्तर पर कुल घाटा 24.19 करोड़ रुपया हो जाता है। केन्द्र संचालित स्कीमों पर होने वाले 39.78 करोड़ रुपयों का व्यय लगभग उतनी ही सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से पूरा हो जावेगा। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि अकाल सहायता के लिये बजट में 66.31 करोड़ रुपयों के व्यय का प्रावधान किया गया है जिसे राज्य के स्वयं के हिस्से 1.08 करोड़ रुपये को छोड़कर अनुदान सहायता के 16.97 रुपये तथा केन्द्रीय सरकार से ऋण सहायता के रूप में प्राप्त होने वाले 43.26 करोड़ रुपये से पूरा किये जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार, राज्य योजना पर कुल व्यय 75.10 करोड़ रुपये तथा ओवर ड्राफ्ट के चुकारे के सम्बन्ध में 1.41 करोड़ रुपये का व्यय, केन्द्रीय सहायता से प्राप्त होने वाले 51.02 करोड़, सांस्थानिक वित्तीय एजेन्सियों से प्राप्त होने वाले 12.12 करोड़ तथा राज्य द्वारा अतिरिक्त साधनों से जुटाये गये 13.37 करोड़ रुपये से पूरा किया जाएगा। फिर, मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि वित्तीय संस्थाओं से 12.12 करोड़ रुपये को जो कुल सहायता मिलने का अनुमान लगाया गया है, उसमें से बजट में केवल 2.15 करोड़ रुपये ही वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होना बतलाया गया है क्योंकि 9.97 करोड़ रुपये की शेष राशि सीधी नगरपालिकाओं एवं राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार अकाल सहायता कार्यों, राज्य योजना एवं केन्द्र संचालित स्कीमों पर होने वाले व्यय से बजट में कोई घाटा नहीं होगा। आशा है कि गैर-योजना मद का बजट में दिखाया गया घाटा, और मिलने वाली विशेष सहायता (स्पेशल एकोमोडेशन) से या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले वेज एण्ड मीन्स एडवान्स से पूरा हो जाएगा।

अतिरिक्त साधन

65. अब मुझे माननीय सदस्यों के धैर्य की और अधिक परीक्षा नहीं लेनी है। क्योंकि मुझे मालूम है माननीय सदस्यगण बजट भाषण के उस अंश को सुनने की उत्कण्ठा में बैठे होंगे जो प्रति-वर्ष खलबली पैदा करे या न करे, अखबारों की सुर्खियां अवश्य बना देता है। श्रीमान् अब मैं आपकी अनुमति से नये कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

66. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है वर्ष 1971 के अन्तिम माहों में बंगला देश से आए हुए शरणार्थियों की सहायता एवं पुनर्वास के खर्चों के लिए साधन जुटाने के विशिष्ट प्रयोजन से कुछ कर लगाये गए थे। इनमें मनोरंजन कर, यात्री गाड़ियों पर सरचार्ज एवं राज्य के कानूनों के तहत जिन पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है उन दस्तावेजों पर अतिरिक्त सरचार्ज भी शामिल था। इन करों को जिस प्रयोजन के लिए लगाया गया था वह समय अब समाप्त हो गया है। ये कर किन्हीं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही

(श्री चन्दनमल बैद)

लगाए गए थे। जैसा कि प्रधान मंत्री ने भी उस समय महसूस किया था, ये कर किसी एक महान् लक्ष्य के प्रति इस महान् देश की जनता के भावनात्मक सहयोग के परिचायक थे। दैवी प्रकोपों के लिए 'नेशनल फण्ड' का जिक्र करते हुए मैंने इस बात पर जोर दिया था कि देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न संकट को दूर करने हेतु प्रत्येक भारतीय द्वारा इसी प्रकार का भावनात्मक सहयोग देना आवश्यक है। भविष्य में इस भावना के प्रतीक स्वरूप एक पृष्ठभूमि तैयार करने के रूप में, मैं सूखे की स्थिति के कारण राज्य में उत्पन्न इस संकट की विशेष स्थिति का मुकाबला करने के प्रयोजन विशेष के लिए उपर्युक्त करों को चालू रखना चाहता हूं।

67. बिक्री कर हमेशा से राज्य की वित्तीय व्यवस्था की आत्म-निर्भरता का एक अचूक साधन रहा है। कोई भी वित्त मंत्री वार्षिक बजट का लेखा-जोखा लेते समय आत्म-निर्भरता की इस कुंजी की उपेक्षा नहीं कर सकता। इस वर्ष मैं इस सीगे से अधिक नजराना लेने का इरादा नहीं रखता, फिर भी कुछ कर लगाने के प्रस्ताव अवश्य रखना चाहूंगा। मैं खंडसारी शक्कर की कुछ किस्मों पर, अनप्रोसेस्ड रैयन तथा कृत्रिम रेशमी वस्त्रों पर, जिन पर कि कोई अतिरिक्त आबकारी शुल्क नहीं लगता, 3 प्रतिशत की दर पर बिक्रीकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। खंडसारी शक्कर पर लगाए गए बिक्री करों से जो भी आय होगी उससे दुगुनी राशि खंडसारी शक्कर के विकास कार्यों पर व्यय की जाएगी।

68. माननीय सदस्य मेरी इस मान्यता से तो अवश्य ही सहमत होंगे कि राज्य द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के कारण जहां कहीं भी समृद्धि पनपी है, वहां के उन समृद्ध व्यक्तियों द्वारा आम जनता की खुशहाली के लिए कुछ अंशदान अवश्य किया जाना चाहिए। करारोपण के प्रयोजनार्थ मैं एक ऐसे मामले को लेता हूं। नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों तथा व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में वृद्धि आदि के कारण, शहरी इलाकों में अचल सम्पत्ति का मूल्य हाल के कुछ वर्षों में अत्यधिक रूप से बढ़ा है। राज्य सरकार भी इस बढ़े हुए मूल्य में से कुछ हिस्सा बटाने का हक रखती है। वर्तमान में कानून के अन्तर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों में केवल खाली भू-खण्डों पर ही कर लगाने का प्रावधान है। अब मैं राज्य के नगरीय क्षेत्रों में नगर परिषदों, नगरपालिकाओं तथा कैन्टूनमेन्ट बोर्डों की सीमा में स्थिति भूमि एवं भवनों पर उनके बाजार मूल्य पर ½% की दर पर 1 अप्रेल, 1973 से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। यह कर 50,000 से कम मूल्य की सम्पत्ति पर नहीं लगेगा। इस सम्बन्ध में मैं उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करूंगा।

69. उपर्युक्त साधनों से अगले वर्ष कुल 2 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

70. प्रसंगवश मैं यहां यह भी स्पष्ट करदूं कि फुटवीयर के निर्माताओं द्वारा स्वयं बेचे जाने वाले सामान पर जो बिक्री कर की छूट दी गई है, उसकी सीमा के बारे में कुछ गलतफहमियां बनी हुई हैं। कुछ यह समझते हैं कि जब टर्नओवर 10,000 रुपये

Page No.19

(श्री चन्दनमल बैद)

से अधिक हो जाती है तो बिक्री कर योग्य हो जाती है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बनाया गया फुटवीयर, यदि स्वयं उसके बनाने वाले या उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा बेचा जाता है, तो वह बिक्री कर से मुक्त होगा चाहे ऐसे माल के टर्नओवर की राशि कितनी ही क्यों न हो परन्तु इसके साथ शर्त यह है कि फुटवीयर के निर्माण कार्य में किसी भी स्टेज पर विद्युत् शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता हो।

71. मेरा इरादा है कि करारोपण से प्राप्त इस दो करोड़ की आय को कुछ विशिष्ट विकास कार्यक्रमों के लिए, जिनमें समाज के कमजोर तबके के लोगों की सुविधा में वृद्धि करना भी शामिल है, उपयोग में लाया जाए।

72. अस्पतालों में औषधियों एवं खुराक हेतु 15 लाख रुपयों का अतिरिक्त प्रावधान अगले साल गैर-योजना मद में किया गया है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले साल योजना मद में इसके लिए 20 लाख का प्रावधान किया गया था। राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में औषधियों एवं चिकित्सा सुविधाओं के लिए पृथक् से 1973-74 के लिए 45 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का मैं प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 1971-72 के मुकाबले में 1973-74 में यह राशि 80 लाख रुपये अधिक है।

73. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की बस्तियों में बिजली लगाने हेतु वर्ष 1973-74 के लिए राजस्थान विद्युत् मण्डल ने 25 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मैं पृथक् से 10 लाख रुपये की राशि का प्रावधान करने का और प्रस्ताव करता हूं जिससे इस कार्य में और गति आ सकेगी।

74. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की उन बस्तियों में, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोग बसते हैं, वर्ष 1972-73 में सार्वजनिक नल लगाने के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया था। जहां कहीं सार्वजनिक नल लगने से रह गये हैं मैं उनके लिए इस साल 10 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान कर रहा हूं, जिससे यह कार्य मुकम्मिल हो सके।

75. जल प्रदाय योजनाओं के लिए अगले वर्ष राज्य योजना में 9.45 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें 7.23 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये हैं और 2.22 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए हैं। इसके अतिरिक्त ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2.35 करोड़ का प्रावधान अगले वर्ष है। केन्द्र से एक्सलरेटेड प्रोग्राम के तहत 3.50 करोड़ रुपये की राशि मिलने की भी आशा है। इस प्रकार अगले साल कुल जल प्रदाय योजनाएं करीब 15.30 करोड़ रुपये की लागत की होंगी। मैं नगर जल प्रदाय योजनाओं के लिए 35 लाख की राशि का और प्रावधान कर रहा हूं। अनुसूचित जातियों, जन जातियों व पिछड़े वर्गों के लिये 10 लाख का प्रावधान अभी मैंने बताया था। कुल मिला कर इस प्रकार

(श्री चन्दनमल बैद)

अगले वर्ष 15.75 करोड़ रुपये जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय होने का अनुमान है जो अपने आप में एक कीर्तिमान हैं।

76. मैं चाहता हूं कि प्रारंभ किए गए अकाल राहत कार्य ऐसे हों कि वे समाज की स्थायी सम्पत्ति बन जाएं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं 1973-74 में अकाल राहत कार्यों के लिए मेटेरियल कम्पोनेंट की लागत हेतु 80 लाख रुपये विशेष रूप से आवंटित कर रहा हूं।

77. पुलिस कान्स्टेबुलरी फोर्स के जिन सदस्यों को मैस अलाउन्स मिल रहा है, मैं उन लोगों के मैस अलाउन्स की वर्तमान दर में 1 अप्रेल, 1973 से 5 रुपया प्रति माह की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे राजकोष पर 20 लाख रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

78. इससे हमारा कुल योजना व्यय 1.80 करोड़ रुपये और बढ़ जाता है और वर्ष 1973-74 की योजना 75.10 करोड़ रुपयों के मुकाबले में 76.90 करोड़ रुपयों की हो जाता है।

79. लोकतांत्रिक समाजवाद के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं। ये कठिनाइयां हमें अपनी दिशा में बढ़ते रहने से किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेंगी। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगले वर्ष में हमारी वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए जो मैंने उपाय सोचे हैं, वे सही हैं। जनता के सहयोग से, हमारे सुदृढ़ प्रयत्नों से तथा आप सब के सहयोग से मुझे विश्वास है कि हम अपने इस सही मार्ग पर प्रगति कर सकेंगे।

80. इन शब्दों के साथ, श्रीमान्, मैं वर्ष 973-74 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1963 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। रूलस ऑफ प्रोसीजर एन्ड कन्डक्ट आफ बिजिनेस के अनुसार यह आज की लिस्ट आफ बिजिनेस में यह बिल शामिल नहीं किया गया है। बिना लिस्ट आफ बिजिनेस में यह शामिल किये आप इसको कैसे इन्ट्रोड्यूस कर सकते हैं?

श्री खेतसिंह : यह हमेशा होता है, ऐसी कोई बात तो नहीं है। यह तो कस्टमरी है।

श्री केदारनाथ : कस्टमरी क्या होती है, चेयर की रजामन्दी से जो सर्क्यूलेट होता है, उसमें नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह एक लेजिस्लेटिव मेजर है जो कि हाउस की कन्सेन्ट से ही इन्ट्रोड्यूस होता है। इसलिए जब तक लिस्ट आफ बिजिनेस में नहीं आये तब तक यह इन्ट्रोड्यूस नहीं माना जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने तथा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है कि करारोपण विधेयक उस समय तक हाउस में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब-तक कि हमारे यहां कार्यसूचि में सम्मिलित नहीं किया गया हो और कार्यसूचि में विवरण नहीं दिया गया हो, इसलिए इसको पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा और इस पर मेरा निर्णय इस प्रकार से होगा : "इस प्रकार का प्रावधान उपस्थित बिलों को पुरः स्थापित करने, परिचालन के सम्बन्ध में यह रूलस में है कि किसी विधेयक को अध्यक्ष की आज्ञा से सदन मे लाने से पहले उसे राज-पत्र में छपवा दें और अगर वह वहां छप जाता है तो उसे यहां लाने की जरूरत भी नहीं होती है और न आज्ञा की जरूरत होती है। अगर करारोपण विधियों का बिल इस प्रकार यहां लाते हैं, तो उसका परिचालन पहले से नहीं किया जा सकता है। हाउस की लिस्ट बिजिनेस जो होता है वह सीक्रेट डाक्यूमेंट होता है इसलिए उसका परिचालन नहीं हो सकता है। आपका मुख्य आधार और एतराज भी यही है कि कार्यसूचि में शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूं, साधारणतया जो आपत्ति उठाई है, हरएक विधेयक, जो यहां आये या तो राज-पत्र मे प्रकाशित हो और नहीं हो तो माननीय सदस्यों को उसका परिचालन करा दिया जाय और कार्य सूची में सम्मिलित किया जाय, यह ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद रूलस में है और वह अपवाद है, फाइनेन्स बिल के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि बिजिनेस में हो। यह फाइनेन्स बिल है और लिस्ट में नहीं होने पर भी लिया जा सकता है। और इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा। इसमें नियम भी इसी प्रकार के हैं और परम्परायें भी इसी प्रकार की हैं अपने इस सदन की। मेरी यह जानकारी है और मुझे सौभाग्य मिला है सदन में सदस्य रहने का। मेरे ख्याल से कोई भी आय-व्ययक के ऊपर विचार हुआ हो, फाइनेन्स बिल का पहले से प्रावधान कभी नहीं हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं, अपने सदन की यह परम्परा रही है कि उसको बिजिनेस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस आधार पर यह बिजिनेस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। बहुत से माननीय सदस्य आज पुराने हैं और इस बात को जानते हैं कि पहले के किसी भी बजट के समय फाइनेन्स बिल को कार्यसूचि में शामिल नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह है, वैसे बिजिनेस रूल के अन्दर इस बात का कोई प्रावधान नहीं है सिवाय उस प्रावधान के कि जो जनरल है। कोई भी बिल हो, यहां लाया जाय और वह सूची में शामिल किया जाय—उसी के तहत में इसको लाया जा सकता है लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि यह एक अपवाद रूप में है और फाइनेन्स बिल सूची में नहीं भी हो तब भी उसको लाया जा सकता है और मैं उसके लिए कुछ ऑथोरिटी आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको इत्मिनान हो जाय।

Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher—

"Secret bills are allowed to be introduced with prior approval

(श्री अध्यक्ष)

of the Speaker without an entry being made in the List of Business."

इसी तरह से डाइरैक्शन बाई स्पीकर है उसमें भी दिया हुआ है:--

"No bill shall be included for introduction in the List of Business for a day until after copies thereof have been made available for use of members for at least two days before the day on which the bill is proposed to be introduced:

Provided that Appropriation bills, Finance bills and such secret bills are not put down in the List of Business and may be introduced without prior circulation of copies to members."

इसलिए अपने सदन की परम्पराओं के आधार पर और इस सम्बन्ध में जो ऑथोरिटी हैं उनके आधार पर मैं इस आपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता, आपत्ति अस्वीकार करता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल, तारीख 6 मार्च, 1973 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 12 बजकर 35 मिनिट पर मंगलवार, दिनांक 6-3-73 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

(17)

शुद्धि-पत्र

दिनांक 5 मार्च, 1973

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1.	1	ऊपर से	1	म. प. 11.30	म. पू. 11.30
2.	3	,,	11	इलकों	इलाकों
3.	4	नीचे से	3	सभव	सम्भव
4.	6	,,	16	सहायता	सहायता
5.	9	,,	3	नेहरु	नाहरु
6.	11	,,	5	स्थिर खने	स्थिर रखने
7.	40	ऊपर से	8	1963	1973
8.	44	ऊपर से	4	विधेयफ	विधेयक